

फर्द अहकाम

यनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी
राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर/प्रार्थना पत्र
		<p>वाकाल्त आराजी ख. न. 242/45 क्षेत्रफल 0.7461 हैम्पेयर स्थित ग्राम खिजुरिया ब्रा० पटवार हल्का खिजुरिया ब्रा. श्र. प्र. नि. खानेरिया तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में अप्रार्थीगण मौके की यथासिद्ध बनाए रखे। पत्रावली वास्ते ० जवाब/बहल प्रा. पत्र बाबत अपार्थी स. 3 लगा 5 का नाम हजफ किये जाने एवं शेष अप्रार्थीगण की इंतजार तलबी हेतु दिनांक 8/7/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">m.n.p.</p>	<p>नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर/प्रार्थना पत्र</p> <p>दिनांक आज्ञा या कार्यवाही</p>
8/7/24		<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहल प्रा. पत्र नाम हजफ पर खुनी गई।</p> <p>वकील प्रार्थी ने अपनी बहल में जाहिर किया कि वे अप्रार्थी स. 3 लगा 5 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।</p> <p>वकील प्रार्थी की बहल प्रा. पत्र नाम हजफ पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध हस्ताक्षरों का इकलोकन करने पश्चात धायद्वि में प्रा. पत्र नाम हजफ को स्वीकार लिया जाता है। प्रतिवादी स. 3 लगा 5 का नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>	

फर्द अहकाम

बनाम

यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

प्रकरण में प्रतिवादीगण की तारीखें
हुये एक माह से भी अधिक
समय हो जाने पर प्रतिवादीगण
सं. 1, 2 व 6 लगा. 10 के विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई
जाती है।

वकील प्रार्थी की वदत
प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर
एकपक्षीय खुनी गई।

प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
पर वदत प्रार्थी पर मनन करने
एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों
का आवलोकन के पश्चात् वादग्रस्त

भारती खसरा नम्बर 242/45
सकवा 0.7461 स्थित ग्राम खिजुरिया

ब्राह्मणान प. ह. खिजुरिया ब्राह्मणान

भू. अ. वि. सांभरिया ~~सकवा~~ तहसील
बल्ली जिला जयपुर में उभयपक्षी

को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा से
पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष

उक्त विवादित भूमि पर ताफैल्ला
वाद के मोर्के व रिकार्ड की

प्रथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फेरबदल शुमार
होकर नम्बर से कम होकर वाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कम